भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **2837**

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता

2837. श्री सागर ईश्वर खंड्रे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में संपन्न हुए भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के प्रमुख प्रावधान और रणनीतिक उद्देश्य क्या हैं और इससे किन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलने की आशा की

(ख) क्या उक्त एफटीए न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात के लिए शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान करता है और दोनों देशों शुल्क उदारीकरण संबंधी प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एफटीए का भारत में श्रम-प्रधान क्षेत्रों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), सेवा निर्यात और रोजगार सृजन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण हेतु इसमें क्या सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं और आयात में अचानक वृद्धि या व्यापार असंतुलन से निपटने हेतु इसमें क्या तंत्र मौजूद है; और

(ङ) एफटीए के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों, किसानों और लघु उद्यमों को अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में सहायता हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) भारत सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर 2025 को भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (आईएन-एनजेड एफटीए) के लिए वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न की। यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार के साथ-साथ उत्पत्ति संबंधी नियमों, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं संबंधी प्रावधानों सहित, सैनिटरी और फाईटोसैनिटरी उपायों, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकारों और आर्थिक सहयोग को कवर करता है।

समझौते के तहत, न्यूजीलैंड ने भारत के 100% निर्यात पर समझौते के लागू होने पर शून्य शुल्क बाजार पहुंच प्रदान की है, जबकि भारत ने लगभग 70% टैरिफ लाइनों पर (समझौते के लागू होने पर और चरणबद्ध रूप से) टैरिफ उदारीकरण प्रदान किया है। जिन प्रमुख क्षेत्रों को

लाभ मिलने की प्रत्याशा है उनमें वस्त्र और परिधान, चमड़ा और फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, और अन्य श्रम-प्रधान एवं एमएसएमई संचालित क्षेत्र शामिल हैं।

सेवाओं में, न्यूजीलैंड ने लगभग 118 सेवा क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में बाजार पहुंच संबंधी प्रतिबद्धताओं और लगभग 139 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) संबंधी प्रतिबद्धताओं का विस्तार किया है, जो कंप्यूटर संबंधित सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, ऑडियो-विजुअल सेवाएं, निर्माण, शिक्षा, पर्यटन और अन्य व्यावसायिक सेवाएं सहित भारतीय हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती हैं। यह समझौता भारतीय पेशेवरों के लिए एक अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा मार्ग के माध्यम से संवर्धित कुशल मोबिलिटी भी प्रदान करता है, जिसमें 5,000 वीजा का कोटा और तीन साल तक का प्रवास, भारतीय छात्रों के लिए प्रति सप्ताह कम से कम 20 घंटों का काम, एसटीईएम स्नातकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 3 वर्ष तक एवं डॉक्टरेट धारकों के लिए 4 वर्ष तक अध्ययन के बाद कार्य वीजा तथा भारतीय युवाओं के लिए 1000 कामकाजी अवकाश वीजा शामिल हैं। भारत ने न्यूजीलैंड को 106 सेवा क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में बाजार पहँच और 45 सेवा क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में एमएफएन विस्तारित किया है।

इसके अलावा, न्यूजीलैंड ने पंद्रह वर्षों की अवधि में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है जिससे विनिर्माण, अवसंरचना और नवाचार को सहयोग प्राप्त होगा।

इस मुक्त व्यापार समझौते से वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, समुद्री उत्पाद, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद जैसे श्रम प्रधान और एमएसएमई क्षेत्रों को संवर्धित बाजार पहुंच और भारत से न्यूजीलैंड को भेजे जाने वाली वस्तुओं के लिए शून्य शुल्क के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। इस समझौते से निर्यात को बढ़ावा मिलने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों में रोजगार सृजन होने की भी उम्मीद है।

(घ) संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते में संतुलित और उत्तरदायी बाजार पहुंच दृष्टिकोण के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। दुग्ध उत्पाद (दूध, क्रीम, मट्ठा, दही, पनीर आदि), पशु उत्पाद (भेड़ के मांस को छोड़कर), चुनिंदा वनस्पति उत्पाद (प्याज, चना, मटर, मक्का/मकई और बादाम सहित), चीनी, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीव वसा और तेल, हथियार और गोला-बारूद को अपवर्जन सूची में रखा गया है।

इसके अलावा, सेब, कीवी, मनुका शहद और एल्ब्यूमिन सहित न्यूजीलैंड के चुनिंदा कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के साथ-साथ न्यूनतम आयात मूल्य और अन्य सुरक्षा उपायों के माध्यम से विनियमित किया जाएगा। सेब, कीवी और मनुका शहद में टीआरक्यू कृषि उत्पादकता कार्य योजनाओं से जुड़े हैं और संयुक्त कृषि उत्पादकता परिषद (जेएपीसी) के माध्यम से इनकी निगरानी की जाएगी ताकि कृषि उत्पादकता और कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और साथ ही घरेलू किसानों और एमएसएमई के हितों की रक्षा होगी।

इसके अतिरिक्त, समझौते में द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय तंत्र (बीएसएम) का प्रावधान किया गया है ताकि इन मुक्त व्यापार समझौतों के तहत टैरिफ में कमी या समाप्ति के कारण आयात में होने वाली किसी भी वृद्धि से घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

(ड़) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत अवसरों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, सरकार व्यापार संबंधी रुझानों की रियल टाईम निगरानी करती है और निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग जगत के हितधारकों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ नियमित परामर्श आयोजित करती है ताकि क्षेत्र-विशिष्ट अवसरों और बाजार पहुंच संबंधी बाधाओं की पहचान की जा सके। इस समझौते के तहत संस्थागत तंत्र, जिनमें संयुक्त समितियां और सेकटरल सहयोग प्लेटफार्म शामिल हैं, व्यापार संबंधी मुद्दों के समाधान और सूचना के प्रसार में सहायता करेंगे। एमएसएमई लिंकेज, कृषि उत्पादकता, सीमा शुल्क सुगमता और विनियामक संरेखण जैसे क्षेत्रों में संरचित सहयोग निर्यातकों, किसानों और लघु उद्यमों को समझौते के लाभों का पूरा उपयोग करने में सहायता करेगा।

*****